

02/02/25

पत्रावली पेश हुई। वकील आर्ची उपा।  
वकील आर्ची की बहस हुई गयी।  
पत्रावली का अपलोकन किया गया एवं  
बहस पर मनन किया गया। इस भाषात्मक  
की आदेशिका दिनांकित 11/05/2022 को  
पुछ (कॉन्फर्म) किया जाकर अपाथीगण  
को जलिये अस्थानी निषेधाज्ञा पाबन्द  
किया जाता है कि ग्राम दीनवा लाडवानी  
की सूचि क्र. नं. 100, 98, 99 का बंधान  
नहीं करे तथा मौजे की पथास्थिति  
सूचि वाद के निर्णय तक बराबर रखें।  
पत्रावली नम्बर से कम हो। वाद जाण  
कार्रवाही सूचि वाद के सलंगन हो।



(दमयन्ती देव)

उपस्थान अधिकारी

फरीदापुर-सीकर (2500)